न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

दायरा दिनांक 07.06.2024

प्रकरण संख्या 10/24

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

मानू पुत्र मंगलिया जाति जाटव निवासी होडापुरा तहसील शाहाबाद जिला–बारां राजस्थान
प्रार्थी

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

आदेश दिनांक 12.06.2025

उपस्थित
प्रार्थी की ओर से – श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट
अप्रार्थी की ओर से – पेरोकार सरकार

प्रार्थनापत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम होडापुरा पटवार हल्का बीलखेडाडांग में ख0नं0 546 रकबा 6.04 बीघा प्रार्थी के खातेदारी में स्थित है। प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन/पैमाईश करवाने हेतु अप्रार्थी को आवेदन पेश किय। अप्रार्थी द्वारा दिये गये आदेश कमांक/एल.आर./2024/959 दिनांक 03.05.2024 की पालना में हल्का पटवारी को प्रार्थी की भूमि की पैमाईश करनी थी, लेकिन हल्का पटवारी ने बिना मौके पर जाये आदेश की पालना किये वगैर दिनांक 27.05.2024 को मिथ्या रिपोर्ट बना दी कि प्रार्थी का कब्जा नहीं है, पैमाईश नहीं की जा सकती है। हल्का पटवारी द्वारा जानबूझकर मिथ्या आधार बनाकर पैमाईश से इनकार किया है, जबकि पूर्ववर्ती गिरदावरी सम्वत 2073–76 में प्रार्थी द्वारा काश्त की गई फसलों का स्पष्ट इन्द्राज है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमांकन कर स्थायी सीमाचिन्ह पत्थरगढी करवाना चाहते हैं, इस बावत यह प्रार्थनापत्र पेश है। अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम होडापुरा पटवार हल्का बीलखेडाडांग में ख0नं0 546 रकबा 6.04 बीघा की पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कड्डा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया [illegible] ग्राम होडापुरा सम्वत 2073 से 2076 खाता संख्या 65 [illegible] भूमि ख0नं0 546 रकबा 6.04 बीघा का रिकार्डेड खातेदार हैं। [illegible] मौका रिप[illegible] पटवारी अनुसार मौके पर आराजी ख0नं0 546 रकबा 6.0[illegible] जाति [illegible] कब्जा होना पाया गया है, परन्तु प्रस्तुत नकल ख[illegible] गिरदावरी अनुसार [illegible] कब्जा दर्ज रिकार्ड है, इस आधार पर पत्थरगढी के आदेश दिया जाना उचित पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.07.18 16:32:20 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहाबाद को आदेशित किया जाता है कि वे मौके पर विवादित आराज़ी ख0नं0 546 रकबा 6.04

उपखण्ड अधिकारी

बीघा का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करावें, तथा कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी सक्षम न्यायालय में नियमानुसार वाद दायर करें। पालनार्थ तहसीलदार शाहाबाद को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.07.18 16:32:20 IST
Reason: SelfAttested